बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 46 / 2019 - 114

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II

पटना 14, दिनांक– 24/01/2025

विषय – नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/40700/2019/757 दिनांक 27.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 10.368 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में 1 से 14 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 50,83,570/– (रूपये पचास लाख तैरासी हजार पाँच सौ सत्तर) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 8 के आलोक में मृदा एवं नमी संरक्षण की योजना वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 152 दिनांक 16.01.2025 द्वारा वर्त्तमान मजदूरी दर पर रू० 1,64,59,558/– (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ अनठावन) मात्र का उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 412/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण एवं मृदा एवं नमी संरक्षण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 10.368 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से (10.3680X9.57780 लाख X5) = कुल रू० 4,96,51,315/– (चार करोड़ छियानवें लाख एकावन हजार तीन सौ पन्द्रह) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

5. **उपर्युक्त CA, SMC एवं NPV मद की कुल राशि रू० 7,11,94,443/– (रूपये सात करोड़ ग्यारह लाख चौरानवें हजार चार सौ तैतालीस) मात्र को मंत्रालय द्वारा विकसित, परिवेश पोर्टल से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि से संबंधित UTR No. एवं अन्य विवरणी को **परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाय,** साथ ही जमा की गयी राशि का UTR No एवं दिनांक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित 1–14 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./46/2019-114 दिनांक– 24/01/2025

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा/वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./46/2019-114 दिनांक– 24/01/2025

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./46/2019-114 दिनांक– 24/01/2025

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।